परिशिष्ट प्रपत्र - "3J"

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **25/02/2016**

वर्ग : 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **03/03/2016** विभाग का नाम : **जल संसाधन**

विषय : **जल उपभोक्ता अध्यक्ष पद पर पदस्थ व्यक्ति की जानकारी के संबंध में ।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **3995**) **श्री आर.डी. प्रजापति**

क्या **जल संसाधन मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या छतरपुर जिले के अंतर्गत तहसील लवकुश नगर में श्री रमेश पटेल जल उपभोक्ता क्र. 74 धरमपुरा निवासी देवपुर अध्यक्ष जल उपभोक्ता का चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए थे ? क्या उक्त चुनाव दिनांक 17.05.2015 में सम्पन्न हुआ था ?

(ख) क्या प्रश्न (क) में वर्णित उक्त व्यक्ति को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील लवकुश नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ 89 अ/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2009 में 32 लाख 2 हजार रूपये को दोषी करार देते हुये 6 वर्ष के लिये चुनाव लड़ने के लिय आयोग्य/वंचित किया गया था ?

(ग) क्या सत्र न्यायाधीश छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र. 40/2009 के पारित निर्णय दिनांक 11.05.2010 में गबन का दोषी पाते हुये 6 वर्ष कारावास एवं 40 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ?

(घ) क्या उक्त व्यक्ति किसी भी चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र हैं ? यदि नहीं तो वर्तमान में अध्यक्ष जल उपभोक्ता समिति जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह सकता हैं ? यदि नहीं तो इसके लिये कौन दोषी हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी ?

Reply By : **WATER RESOURCES** | Reply Date On : **25/02/2016 06:07:54 PM** | Status: **Final**

जल संसाधन मंत्री श्री जयंत मलैया : (क) जी हाँ, जी हाँ । (ख) जी हाँ । (ग) जी नहीं । (घ) जी नहीं । पद से पृथक करने की कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर के समक्ष विचाराधीन है । विचाराधीन कार्रवाई वृहद स्वरूप की होने के कारण प्रकरण के निराकरण होने तक किसी अधिकारी का दोष निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

Attachment :